



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पिथिला

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

.....शामुष डाली..... बनामराजस्थान.....

दावा बाबत रकोर्ड डुकलती

मुकदमा नम्बर :- 89/2022

निर्णय दिनांक :- 27-05-22

वादी की ओर से 27-05-22 की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27-05-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर शोही ग्राम पिथिला खाता सं. 108 ख नं. 1244/53, 66/386 की जमाबंदी में अंकित बख्त खां के स्थान शामुष डाली खात करी जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार बख्तनुसार राजस्थान अधिलेख में अमल दरमद हूँ। अविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति से पूर्व का मान्य होगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27-05-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़



ना.क. 2658
30-05-22